

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

-: शुद्धि पत्र :-

1. विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 23.06.17 को संपन्न बैठक के आलोक में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-2020 दिनांक-03.07.17 में कतिपय हुई त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

(i) विभागीय आदेश ज्ञापांक-2020 दिनांक-03.07.17 के क्रमांक-03 अंतर्गत श्री सत्येन्द्र सिंह, से०नि० कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा में टंकण भूलवश दिनांक-01.09.08 अंकित हो गया है, जिसको विलोपित किया जाता है क्योंकि श्री सिंह को दिनांक-02.02.03 के प्रभाव से पूर्व में ही द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ दिया जा चुका है।

(ii) विभागीय आदेश ज्ञापांक-2020 दिनांक-03.07.17 के क्रमांक-47 अंतर्गत कॉलम-2 पर अंकित स्व० बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह के स्थान पर स्व० बिन्देश्वरी प्रसाद पढ़ा जाय एवं पदस्थापन कार्यालय लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा के स्थान पर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची पढ़ा जाय।

(iii) विभागीय आदेश ज्ञापांक-2020 दिनांक-03.07.17 के क्रमांक-50 अंतर्गत कॉलम-2 पर अंकित श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद के स्थान पर संशोधित नाम श्री अनिरुद्ध प्रसाद पढ़ा जाय।

2. उक्त आदेश के अन्य क्रमांक में अंकित कड़िकाएँ यथावत प्रभावी रहेगी।

3. आदेश पर अभियंता प्रमुख-I का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/राँची/धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

0813

राँची, दिनांक :-

18-10-17

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा/कोडरमा/धनबाद/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Manoj Kumar
18/10/17

सरकार के अवर सचिव।